आदेश

25-09-2019 सुनवाई हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नोटिस का तामिला प्रतिवादियों को कराया गया। उभय पक्ष उपस्थित। उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी गई कि पूर्व में किये गए शिकायत के आलोक में जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुसार माह सितम्बर, 2018 से नवम्बर, 2018 तक का खाद्यान्न तीन माह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को दिया गया। यदि वे ससमय खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराते है तो लाभुक खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के विन्दु 06 के अनुसार भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे। वैसे लाभुक जिन्हे माह माह दिसम्बर 2018 से माह जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न नहीं मिला है उन्हे भी राशन उपलब्ध कराने का आदेश जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा दिनांक: 13.09.2019 को दिया जा चुका है।

पारित आदेश की जानकारी होने पर उपस्थित लाभुकों द्वारा अनाज लेने पर सहमति जतायी गई।

उपस्थित लाभुकों के द्वारा अपनी बातों को माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया । सभी पक्षों को गंभीरता पूर्वक सूना गया। माननीय सदस्य द्वारा लाभुकों को आश्वस्त किया गया कि सभी को अनाज प्राप्त हो इस दिशा में राज्य खाद्य आयोग काफी गंभीर है एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों का निष्पादन त्वरित गति से किया जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम एवं प्रभारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर को निदेश दिया गया कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा दिनांक: 13.09.2019 को पारित आदेश का अनुपालन 15 दिनों के अंदर करते हुए आयोग को सूचित करेंगे।

25.9.19

उपेन्द्र नारायण उरांव
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

25/9/19

हलधर महतो
सदस्य
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

(E-mail ID- adcchaibasa@gmail.com)

पत्रांक 99 (A) / रा0

प्रेषक,

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह– अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

चाईबासा, दिनांक 13.9.19

विषयः– श्री जॉन कायम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा सामुहिक रूप से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में की गई सुनवाई का आदेश की प्रति का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री जॉन कायम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा सामुहिक रूप से प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत विभिन्न तिथियों को सुनवाई कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित किया गया है।

अतः पारित आदेश की प्रति भवदीय अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाय।

विश्वासभाजन

13/9/19

अनुलग्नकः यथोक्त।

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
–सह–अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

(राजस्व शाखा)

आदेश

दिनांकः 18.07.2019 को श्री जॉन कायम एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा सामुहिक रूप से शिकायत दर्ज किया गया कि ग्राम बाईपी एवं कुपूई के जन वितरण प्रणाली दुकानदार श्री केदार सिंह पूरती द्वारा कार्ड धारियों को राशन नहीं दिया जा रहा है। प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 15(5) के तहत सुनवाई हेतु कार्यालय पत्रांकः 894(बी)/रा० दिनांकः 20.07.2019 द्वारा शिकायतकर्त्ता, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दिनांकः 30.07.2019 को सुनवाई हेु नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 30.07.2019 को हुई सुनवाई के दौरान उपस्थिति निम्न प्रकार रही :–

1. जॉन कायम, ग्राम बाईपी
2. राशिका दिग्गी, ग्राम........
3. रासिका कायम, ग्रामीण मुण्डा कुपूई
4. गंगी दिग्गी, पति मधूसूदन दिग्गी
5. केदार सिंह पुरती, ज०वि०प्र० दुकानदार
6. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम के प्रतिनिधि के रूप में M.O मुख्यालय।
7. अन्य कार्डधारी, ग्राम– कुपुई एवं बायपी

सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। उपस्थित कार्डधारियों के राशन कार्ड के अवलोकन पर पाया गया कि प्यारे लाल दिग्गी एवं गंगी दिग्गी के PH राशन कार्ड में मात्र अगस्त 2018 तक का खाद्यान्न वितरण का प्रविष्टि किया गया है। चमडा गोप का कार्ड में मात्र जुलाई 2018 तक का ही वितरण की प्रविष्टि किया गया है। अंतोदय अन्न योजना कार्डधारी बेलमती पुरती को जुलाई 2018, लक्ष्मी दिग्गी को अगस्त, राशिका कायम (ग्रामीण मुण्डा) का AAY कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार सितम्बर से दिसम्बर 2018 तक राशन नहीं मिला। वे स्वीकार किए कि जनवरी 2019 से जुलाई 2019 तक खाद्यान्न मिला है।

राजकुमारी लोहार AAY कार्डधारी के कार्ड में सितम्बर से दिसम्बर 2018 तक का खाद्यान्न प्रविष्टि नहीं है, लेकिन जनवरी 2019 से जुलाई 2019 तक का प्रविष्टि हुआ है।

जितेन लोहार PH राशन कार्डधारी की पत्नी गुरबारी लोहार द्वारा कार्ड दिखाया गया जिसके अनुसार सितम्बर 2018 से दिसम्बर 2018 तक खाद्यान्न नहीं दिया गया है। जनवरी 2019 से जुलाई 2019 तक खाद्यान्न मिल गया है।

बगाली दिग्गी के पुत्र द्वारा बताया गया कि सितम्बर 2018 से अबतक का खाद्यान्न नहीं मिला है। उससे पूछा गया कि क्या वे Dealer के पास खाद्यान्न लेने गए थे तो वे बताए कि वे नहीं जाते हैं बल्कि उनकी माँ जाती है।

मोगा रसाय कुंटिया लोहार (PH राशन कार्डधारी) को अगस्त 2018 से अबतक खाद्यान्न नहीं मिला है। जनवरी से खाद्यान्न नहीं लिया क्योंकि पूर्व का खाद्यान्न नहीं मिला है, जबतक पुर्व का बकाया नहीं मिलेगा तबतक नहीं लेगें।

महेश सिंह दिग्गी लोहार (PH राशन कार्डधारी) की पत्नी हीरामनी दिग्गी का कहना है कि सितम्बर से खाद्यान्न नहीं मिला है।

राशन नहीं वितरण करने के संबंध में जन वितरण दुकानदार श्री केदार सिंह पुरती से जब पुछा गया तब उनके द्वारा जानकारी दी गयी कि वे बायपी, कुपुई, कुटुतवा एवं ओटादिरी ग्राम के कार्डधारियों को राशन देते है। PH कार्ड के कुल 499 एवं AAY (अन्तोदय अन्न योजना) के कुल 56 कार्डधारी है। गॉव वार संख्या निम्न प्रकार से है।

PH	AAY
बायपी – 293	बायपी –52
कुपुई – 183	कुपुई – 04
कुटुतवा – 08	कुटुतवा –0
ओटादिरी– 15	ओटादिरी–0
कुल – 499	कुल – 56

सितम्बर 2018 से जुलाई 2019 तक चावल, किरासन तेल, चीनी नहीं मिलने का शिकायत कुपुई एवं बायपी ग्राम के ग्रामिणों द्वारा किया गया। Dealer द्वारा कहा गया कि चावल सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 में PH कार्ड में मात्र 15–15 किलोग्राम मिला AAY कार्ड में कोई आवंटन नहीं मिला। मशीन खराब होने के कारण कम खाद्यान्न मिला। मशीन खराब होने की

सूचना जिला को दिया था। कम खाद्यान्न मिलने के कारण सितम्बर से नवम्बर का वितरण नहीं किया। डीलर का ई-पोस मशीन खराब था जिसकी सूचना उनके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर को दिया गया है जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि ई-पोस मशीन 10 अगस्त को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चाईबासा के यहाँ मरम्मती हेतु दिया गया है जो अभी तक नहीं बना है। उक्त पत्र दिनांक 28.09.2018 को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा देखा गया है।

PH कार्ड में दिसम्बर 2018 में 75 Quintal में से 66 Quintal मिला, AAY कार्ड में 24 Quintal में से 22.15 Quintal मिला दिसम्बर में वितरण किया हूँ। लेकिन कार्डधारियों का कहना है कि जबतक पुर्व के माह का खाद्यान्न नहीं मिलेगा तबतक दिसम्बर माह का भी खाद्यान्न नहीं लेंगे।

शिकायतकर्त्ता द्वारा शिकायत की गयी कि डीलर मृत व्यक्ति लता कुई एवं उनके पति पोन्डेराम के नाम पर भी राशन उठाता है। इस पर डीलर का कहना था कि लता कुई एवं उनके पति पोन्डेराम का मृत्यु हो गया इनकी मृत्यु की सूचना जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में मौखिक रूप से दिए है। इनके नाम से खाद्यान्न मैं नहीं मांगता हूँ। ग्रामीण मुण्डा का भी कहना था कि मृत व्यक्ति के बदले डीलर द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया गया है।

आज हुए सुनवाई से स्पष्ट हुआ कि सितम्बर से नवम्बर तक डीलर को आवश्यकता से कम खाद्यान्न प्राप्त हुआ जिस कारण वे कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण नहीं कर पाए लेकिन कुछ कार्डधारी यह कहकर दिसम्बर माह से खाद्यान्न उठाव नहीं कर रहे है कि जबतक उन्हे पुर्व माह का बकाया खाद्यान्न नहीं मिलेगा वे दिसम्बर और अन्य माह का खाद्यान्न नहीं लेगें। ऐसे सभी कार्डधारी को दिसम्बर से जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न वितरण करने का आदेश **Dealer** को दिया गया। इसका अनुश्रवण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी करेंगे। शिकायतकर्त्ता एवं उपस्थित सभी कार्डधारियों को भी कहा गया कि वे दिसम्बर माह से जुलाई माह का राशन का उठाव डीलर के यहाँ से तत्काल कर लें और पुर्व माह का बकाया का खाद्यान्न जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा डीलर को उपलब्ध कराए जाने पर बाद में दिया जाएगा। मेरे इस आदेश के बाद भी यदि डीलर किसी कार्डधारी को दिसम्बर से जुलाई माह का राशन वितरण नहीं करता है तो इसकी शिकायत वे दिनांक 09.08.2019 की सुनवाई हेतु निर्धारित अगली तिथि को करेंगे।

दिनांक 09.08.2019 को सुनवाई के दौरान बायपी गाँव के मुण्डा रसिका कायम, डाकुआ बुधलाल जोजो, डीलर केदार सिंह पुर्ती, डीलर का भाई कातेराम पुर्ती, डीलर का पुत्र श्री कृष्णा पुर्ती ग्रामीण 1. साधुचरण जोजो, ग्राम- बायपी, 2. कृषणा गोप (**PH** कार्डधारी), 3. चम्बरा गोप, ग्राम- ओटादिरी, 4. गोमिया जामुदा, 5. शालेन्द्र चाकी, ग्राम- बायपी, 6. सुरेश नायक उपस्थित हुए।

1. कृष्णा गोप, पिता- मंगल सिंह गोप द्वारा राशन कार्ड दिखाया गया कार्ड के अवलोकन से इन्हे सितम्बर से नवम्बर 2018 तक का खाद्यान्न नहीं मिला है। दिसम्बर से जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न मिला है।
2. साधु चरण जोजो द्वारा **AAY** कार्ड दिखाया गया जो उनके माँ मादेय जोजो के नाम से निर्गत है। कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार सितम्बर से नवम्बर 2018 तक खाद्यान्न नहीं मिला है दिसम्बर 2018 से जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न मिला है। श्री साधुचरण जोजों का भी कहना है था कि उन्हे जुलाई माह का खाद्यान्न मिल गया है।
3. डकुआ बुधलाल जोजो द्वारा AAY कार्ड दिखाया गया जो चाँदमुनी जोजो के नाम से निर्गत है। चाँदमुनी बुधलाल जोजो की पत्नी है। प्रविष्टि के अनुसार सितम्बर से दिसम्बर 2018 तक का खाद्यान्न नहीं मिला है। जनवरी से जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न मिला है।
4. चम्बरा गोप, ओटादरी (स्वयं उपस्थित, PH कार्ड) सितम्बर से नवम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिला है दिसम्बर से जुलाई तक का खाद्यान्न मिला है।
5. गोमिया जामुदा उपस्थित। पत्नी रीता जामुदा के नाम से निर्गत कार्ड दिखाया। सितम्बर से नवम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिला है। दिसम्बर से जुलाई तक खाद्यान्न मिला है।
6. शालेन्द्र चाकी, बायपी (स्वयं उपस्थित) PH कार्ड उनकी पत्नी शीला चाकी के नाम से निर्गत है। सितम्बर से नवम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिला है।
7. सुरेश नायक AAY कार्ड सितम्बर से दिसम्बर तक खाद्यान्न नहीं मिला है। जनवरी से जुलाई तक का खाद्यान्न मिला है।

डाकुआ का कहना है कि सभी कार्डधारी को खाद्यान्न उठाव करने के लिए कहे लेकिन कुछ कार्डधारियों का कहना है कि जबतक पूर्व का खाद्यान्न उन्हे नहीं प्राप्त होगा तबतक वे जनवरी से जुलाई तक का खाद्यान्न नहीं लेंगे।

डीलर द्वारा बताया गया कि बायपी गाँव का 12 एवं कुपुई ग्राम के 55 कार्डधारी अभी तक खाद्यान्न उठाव नहीं किए हैं। सुनवाई के दौरान कृष्ण पुरती द्वारा कहा गया कि कुछ लोग कार्डधारियों को धमकी दे रहें है कि यदि कोई खाद्यान्न उठाव करता है तो उन्हें 5000.00 (पाँच हजार) रूपये दण्ड देना होगा नहीं तो उनका सामाजिक बहिस्कार किया जाएगा। इस बात की पुष्टि डकुआ श्री बुधलाल जोजो और ग्रामीण मुण्डा श्री रासिका कायम द्वारा भी किया गया। राशन

डीलर श्री केदार सिंह पुरती द्वारा लिखित रूप में जानकारी दी गयी कि 1. लक्ष्मी दिग्गी पति रासिका दिग्गी (उपमुखिया), 2. प्रधान दिग्गी, पिता स्व० गोमेया दिग्गी, 3. शांति कायम, पति जॉन कायम, 4. गांधी दिग्गी, पति मधुसूदन दिग्गी एवं 5. श्री जयसिंह कायम, पिता स्व० पूर्ण चन्द्र कायम द्वारा ग्रामीणों को राशन नहीं उठाने के लिए धमकी दे रहे है।

दिनांक 18.07.2019, 30.07.2019 एवं 09.08.2019 को हुई सुनवाई के दौरान उपस्थित कार्डधारी एवं डीलर से किए गए पुछ ताछ से स्पष्ट होता है कि अधिकतर कार्डधारी को माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक का और कुछ को दिसम्बर, अगस्त और जुलाई 2018 का राशन नहीं दिया गया है। डीलर श्री केदार सिंह पुरती को आवश्यकता से कम मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होने के कारण वे कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किए। मशीन खराब होने के कारण उन्हे कम आवंटन प्राप्त हुआ। मशीन खराब होने की सूचना उनके द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर को स-समय दी गयी थी। कागजात की छायाप्रति उनके द्वारा न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार 10 अगस्त से मशीन मरम्मती हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी चाईबासा को दिया गया था। दिसम्बर माह से उन्हे खाद्यान्न प्राप्त हुआ लेकिन कार्डधारी यह कहते हुए खाद्यान्न का उठाव नहीं किए कि जबतक उन्हे पूर्व माह का बकाया नहीं मिलेगा वे खाद्यान्न नहीं उठाव करेंगे। सुनवाई के क्रम में दिनांक 30.07.2019 को सभी उपस्थित कार्डधारी को ओदश दिया गया कि वे दिसम्बर माह से जुलाई माह तक का खाद्यान्न उठाव डीलर के यहाँ से कर ले। डीलर को भी निदेश दिया गया कि वे डकुआ के माध्यम से सूचना भेजवा कर ऐसे सभी कार्डधारी जो दिसम्बर माह से खाद्यान्न का उठाव नहीं किए है उन्हे खाद्यान्न उपलब्ध करा दें। और वैसे कार्डधारी जिन्हे इस आदेश के बावजूद भी डीलर द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया जाता है वे अगली निर्धारित तिथि 09.08.2019 को सुनवाई में उपस्थित रहें। माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक का खाद्यान्न का आवंटन जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा डीलर को उपलब्ध कराए जाने पर कार्डधारियों को दिया जाएगा।

दिनांक 09.08.2019 को सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को कुछ कार्डधारी उपस्थित हुए। उनका कार्ड में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार अधिकतर कार्डधारी माह जनवरी से जुलाई 2019 तक एवं कुछ दिसम्बर से जुलाई 2019 तक का खाद्यान्न उठाव कर लिए लेकिन कुछ लोगों के द्वारा खाद्यान्न लेने से सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दिए जाने के कारण डर से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया। डीलर द्वारा कहा गया कि ऐसे कार्डधारी जो अबतक खाद्यान्न का उठाव नहीं किए है ग्राम बायपी का 12 एवं कुपुई के 55 है।

चुंकि डीलर द्वारा मशीन खराब होने की सूचना स-समय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दी गयी है। ऐसे परिस्थिति में ससमय राशन उपलब्ध कराने की डीलर का गलती नहीं है लेकिन जिला अपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा मशीन मरम्मति हेतु स-समय कार्रवाई नहीं की गयी जिस कारण माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक का पूर्ण मात्रा में खाद्यान्न डीलर को नहीं मिल पाया। अतः दोनों पदाधिकारी से कारण पृच्छा करने एवं माह सितम्बर 2018 से नवम्बर 2018 तक का खाद्यान्न सभी कार्डधारियों को 03(तीन) माह के अन्दर उपलब्ध कराने तथा वैसे कार्डधारी जो माह दिसम्बर 2018 में कम आवंटन के कारण खाद्यान्न नहीं प्राप्त किए तथा कुछ कार्डधारी जो जुलाई 2018 एवं अगस्त 2018 को भी खाद्यान्न उठाव नहीं किए है उन्हे भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने का आदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दिया जाता है। यदि निर्धारित अवधि में खाद्यान्न का वितरण कार्डधारियों को नहीं किया जाता है तो इस अवधि के पश्चात उन्हे खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015 के बिन्दु 06 के अनुसार भत्ता का आकलन कर भत्ता उपलब्ध कराना होगा। वैसे कार्डधारी जो अपनी मरजी से दिसम्बर 2018 से जुलाई 2019 माह का राशन नहीं लिए है उन्हे इस अवधि का भत्ता नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हे इस अवधि का बकाया खाद्यान्न मिलेगा। ऐसे कार्डधारी जो कुछ लोगों द्वारा दिए जा रहे समाजिक बहिस्कार और जुर्माना देने के धमकी के कारण अबतक खाद्यान्न नहीं लिए है वैसे कार्डधारियों को अपनी उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर करेंगे तथा खाद्यान्न से इन लोगों को वंचित रखने के आरोप में धमकी देने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दें तथा इसकी प्रति उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा तथा माननीय सदस्य श्री हलधर महतो, राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग को भी सूचनार्थ भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
-सह-अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

13/9/19

जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी,
-सह-अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।